श्री शरद पवार: माननीय सदस्य ने जो आत्महत्या की बात कही है, तो हमारे पास कुछ राज्यों से गन्ना पैदा करने वाले किसानों की शिकायतें जरूर आई हैं। ये शिकायतें इसलिए आई हैं कि उनका गन्ना जिस कृषि परपज के लिए लेना चाहिए, वह लेने की प्रतिस्थिति कई मिलों के कार्य क्षेत्र में नहीं है क्योंकि वहा जरूरत से ज्यादा गन्ने की पैदावार हुई है, मगर कई राज्यों ने सभी मिल वालों को सूचना दी है कि आपको मिल का crushing season बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें जो मिलों को नुकसान होगा, इसको compensate करने के लिए कई राज्यों ने तैयारी की है और इस तरह की पालिसी announce हुई है। इसमें न्यूनतम कीमत मिलने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मार्केट की जो requirement है, इससे ज्यादा पैदावार होने के बाद इसका असर कीमत पर होगा और कीमत पर असर हुआ है तथा इसका असर sugarcane price पर होगा, मगर sugarcane के लिए जो MSP दिया है, उसे देने की जिम्मेदारी हर मिल की है।

श्री सभापति: अगर मिल इस जिम्मेदारी को नहीं निभाती, तो क्या करना चाहिए?

श्री शरद पवार: इसके खिलाफ राज्य सरकार को कदम उठाना चाहिए। दूसरी बात यहां पूछी गई कि कौन से राज्यों ने internal subsidy दी है और मदद देने का प्रयास किया है, मेरे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु - इन राज्यों ने कदम उठाए हैं और गुजरात, आंध्र प्रदेश,पंजाब और हरियाणा इस पर decision लेने की स्थिति में हैं।

*366. [The questioner (Shri Ekanath K. Thakur) was absent.

For answer *vide* page 35 *infra.]*

*367. [The questioner (Shri Ramdas Agarwal) was absent.

For answer *vide* page 36 *infra.]*

वर्षा, ओला-वृष्टि आदि के कारण फसल को हुआ नुकसान

*368. **श्री दत्ता मेघे:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 2007 में बेमौसम की वर्षा, ओला-वृष्टि, तूफान और बर्फबारी से देश के कुछ भागों में गेहूं, सरसों और हरी सब्जियों की फसल को भारी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इन आपदाओं से उबारने के लिए सरकार द्वारा किसानों को अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कृषि मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड सरकारों ने असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण फसलों की क्षति / हानि की सूचना दी है। राज्य-वार स्थिति निम्नलिखित है:

(i) हरियाणा

हरियाणा सरकार ने फरवरी और मार्च, 2007 के दौरान भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण लगभग 5.78 लाख एकड़ क्षेत्र में गेहूं, धान, कपास, सरसों और अन्य फसलों को 25 प्रतिशत अथवा अधिक की क्षति की सूचना दी है।

(ii) मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 35 जिलों में असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण 1.74 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में 5 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की फसल हानि की सूचना दी है।

(iii) पंजाब

पंजाब सरकार ने फरवरी / मार्च, 2007 के दौरान भारी असमय वर्षा और ओलावृष्टि के कारण 2.15 लाख एकड़ क्षेत्र में फसलों की क्षति की सूचना दी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार असमय वर्षा और ओलावृष्टि ने गेंहू, आलू, फूलगोभी और सूरजमुखी को क्षति पहुंचाई है।

(iv) राजस्थान

उपलब्ध सूचना के अनुसार फरवरी और मार्च, 2007 में ओलावृष्टि ने लगभग 2.85 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, सरसों, जौ, चना, जीरा, इसबगोल और ग्रीष्मकालीन सब्जी फसलों को क्षति पहुंचाई है।

(v) उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने मार्च, 2007 के दौरान ओलावृष्टि के कारण 1.54 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में रबी फसलों की क्षति की सूचना दी है।

2. ओलावृष्टि सहित प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आवश्यक उपाय करने की जिम्मेवारी मूल रूप से संबंधित राज्य सरकारों की है। आवश्यक उपायों के लिए राज्यों के पास आपदा राहत कोष (सीआरएफ) के अधीन निधियों की सहज उपलब्धता है। भारत सरकार और संबंधित राज्य

सरकारें सीआरएफ में 3:1 के अनुपात में अंशदान करती हैं। यदि जरूरी होता है तो गंभीर किस्म की प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा एनसीसीएफ से सहायता हेतु ज्ञापन प्रस्तुत करने पर सीआरएफ के अलावा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार किया जाता है।

3. हरियाणा सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें ओलावृष्टि की स्थिति में एनसीसीएफ से सहायता चाही गई थी। तथापि यह आकलित किया गया कि आवश्यकताओं को विद्यमान मानदंडों के अनुसार, सीआरएफ में उपलब्ध निधियों से पूरा किया जा सकता है और तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दी गई है। उपर्युक्त राज्य सरकारों को छोड़कर अन्य किसी राज्य सरकार ने अब तक ओलावृष्टि की स्थिति में एनसीसीएफ से सहायता के लिए कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है।

Crop loss due to rains, hailstorm, etc.

†*368. SHRI DATTA MEGHE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the crops of wheat, mustard and green vegetables in some parts of the country have suffered due to unseasonal rains, hailstorm, storms and snowfall in March, 2007;

(b) if so, what steps have been taken by Government to compensate the loss caused to the farmers; and

(c) the amount , so far, provided to the farmers by Government to take them out of these disasters?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI SHARAD PAWAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Governments of Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and Uttarakhand reported damage / loss to crops due to untimely rains and hailstorms. The State-wise position is as under:

(i) **Haryana**

The Government of Haryana have reported damage of 25% or more to wheat, paddy, cotton, mustard and other crops in an area of about 5.78

†Original notice of the question was received in Hindi.

lakh acres due to heavy rains and hailstorms during February and March, 2007.

(ii) **Madhya Pradesh**

The Government of Madhya Pradesh have reported crop loss of 5% to 50% in 1.74 lakh hectares due to untimely rains and hailstorm in 35 districts in the State.

(iii) **Punjab**

The Government of Punjab have reported that crops in an area of 2.15 lakh acres were damaged due to untimely rains and hailstorms during February/March, 2007. As per available information, the untimely rains and hailstorms caused damage to wheat, potato, cauliflower and sunflower.

(iv) **Rajasthan**

As per available information, the hailstorms in February and March, 2007, caused damage to wheat, mustard, barley , bengal gram, cumin, isabgol and summer vegetable crops in about 2.85 lakh hectares.

(v) **Uttarakhand**

The Government of Uttarakhand have reported that hailstorm during March, 2007, caused damage to rabi crops in 1.54 hectares.

2. It is primarily the responsibility of the State Government concerned to take necessary measures in the wake of natural calamities including hailstorms. There is ready availability of funds with the States under Calamity Relief Fund (CRF) to take necessary measures. The Government of India and State Governments concerned contribute to CRF in the ratio of 3:1. Additional assistance, over and above CRF is considered from the National Calamity Contingency Fund (NCCF), if necessary, for natural calamities of severe nature, in accordance with an established procedure, on submission of a Memorandum for assistance from the NCCF by the State Government.

3. The Government of Haryana had submitted a Memorandum seeking assistance from the NCCF, in the wake of hailstorm. However, it was

assessed that the requirements, as per existing norms, could be met from the funds available in the CRF and the State Government have been advised accordingly. No other State Government mentioned above have so far submitted any Memorandum for assistance from the NCCF in the wake of hailstorms.

श्री दत्ता मेघे: सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारे विशाल देश में जब बाढ़ आ जाती है या सूखा होता है, जैसे पिछले साल महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में 40 से 50 प्रतिशत फसल नष्ट हुई, तो इसके लिए जो मदद चाहिए, जब वह राज्य सरकार की तरफ से नहीं मिलती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विशेष कोष अपने यहां रहता है, उससे इन राज्यों को क्यों मदद नहीं दी गई?

श्री शरद पवार: सभापति जी, पिछले साल की बात यहां पर कही गई, यह बात सच है कि कुछ राज्यों में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी कि वहां थोड़ा-बहुत नुकसान हुआ था, इनमें हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तरांचल शामिल हैं। राज्य सरकार की तरफ से जो डिमांड करनी चाहिए कि इस नुकसान को पूरा करने के लिए उनको सहायता चाहिए, केवल राजस्थान के अलावा ऐसे फाइनल प्रस्ताव अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं।

श्री सभापति: राजस्थान को तो दे दिया है न?

श्री शरद पवार: सभापति जी, मुझे इस सदन में आना है, इसलिए मैं राजस्थान को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता।

श्री शरद यादव: इसमें एक बात है कि National Calamity Contingency Fund और CRF दोनों ही रास्ते राज्य सरकारों के सामने हैं। इन राज्यों में CRF के लिए जितने पैसे की आवश्यकता है, उतने पैसे हैं।

श्री दत्ता मेघे: जिन राज्यों ने मांग नहीं की, उनको आपने नहीं दिया, लेकिन जिन राज्यों ने मांग की है, उनको भी केन्द्र सरकार ने वह राहत नहीं दी है, यह मेरा प्रश्न है।

श्री शरद पवार: मैंने कहा कि CRF में पैसे हैं, वे सरकार के सामने अपनी मांग रखें।

श्री सभापति: श्री मोती लाल वोरा जी, आप पूछिए।

श्री मोती लाल वोरा: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्या आप शूगर के मामले पर सवाल पूछ रहे हैं? आपका प्रश्न रेलवे के बारे में है, वह पूछ लीजिए।